ककरी परियोजना के लिए वन भूमि लीज नवीनीकरण हेतु अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार के दावों का निराकरण करने हेतु ग्राम वनाधिकार समिति, ककरी की बैठक में लिये गये निर्णय के कम में उपखण्ड समिति द्वारा विचारार्थ आहूत बैठक दिनांक:15.12.2018 का कार्यवृत्तः–

बैठक में निम्नाकित अधिकारीगण उपस्थित रहें:–
1.उप वन क्षेत्राधिकारी, अनपरा,सोनभद्र।
2.ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) म्योरपुर,सोनभद्र।
3.वन दरोगा दुद्धी,सोनभद्र।

महाप्रबन्धक एन0 सी0एल0 ककरी परियोजना के पत्र संख्या:म0प्र0/ककरी/ वन/2018/306 दिनांक: 03.10.2018 व पत्र सख्या:म0प्र0/ककरी/वन/2018/306 दिनांक:03.10.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा ककरी परियोजना के लिए कुल 185.84हे0 वन भूमि लीज नवीनीकरण के संदर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। पत्र उल्लिखित किया गया है कि कि ककरी परियोजना की उक्त भूमि "कोल वियरिंग एक्ट" के तहत एस.ओ. 3303 दिनांक:17.11.1981 के अनुसार अधिग्रहित की गयी थी। जिसमें 185.84हे0वन भूमि शामिल थी। पत्रांक 8–350/87/एफ0सी0 दिनांक:30.05.1989 के अनुसार 30 वर्षो हेतु लीज निर्गत किया गया था जिसकी अवधि दिनांक:30.05.2019 को समाप्त हो रहीं है। शासन द्वारा दिनांक:16.05.2018 को स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्बन्धित दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया गया है जिसके अनुकम में दस्तावेजों की प्रति वन विभाग रेनुकूट व जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गयी है। आनलान आवेदन के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत से सम्पर्क स्थापिक कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी जिसके क्रम में ग्राम पंचायत वनाधिकार समिति द्वारा दिनांक 16.09.2018 को बैठक करते हुए वन भूमि के 185.84हे0 को एन0सी0एल0,ककरी परियोजना को लीज पर दिये जाने की संस्तुति की गयी है।

महाप्रबन्धक,एन0सी0एल0,ककरी परियोजना के उपरोक्त पत्र के क्रम में अनापत्ति प्रामाण पत्र निर्गत किये जाने के दृष्टिगत सम्बन्धित तहसीलदार दुद्धी संलग्न रिपोर्ट दिनांक: 05.12.2018 के साथ ग्राम पंचायत ककरी की बैठक दिनांक:0909.208 व 16.09.2018 की कार्यवाही तथा ग्राम पचायत समिति की रिपोर्ट 05.12.2018 प्राप्त हुयी है। ग्राम पंचायत समिति ककरी द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत समिति ककरी द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में ग्राम सभा की दिनांक:16.09.2018 को सम्पन्न हुयी बैठक में उक्त भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित अनु0जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासियों द्वारा कोई दावा नहीं प्रस्तुत किया गया और न तो कोई दावा लम्बित है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए 185.84हे0 वन भूमि एन0सी0एल0 ककरी परियोजना को दिये जाने की संस्तुति की गयी है।

तत्क्रम में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद व खण्ड विकास अधिकारी म्योरपुर के साथ आज दिनांक:15.12.2018 को बैठक निर्धारित की गयी। जिसमें उक्त अधिकारीगण अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें। बैठक में ककरी परियोजना की उक्त भूमि "कोल वियरिंग एक्ट" के तहत एस.ओ. 3303 दिनांक:17.11.1981 के अनुसार अधिग्रहित की गयी थी जिसमें 185.84हे0वन भूमि शामिल थी। जो 30 वर्षो हेतु लीज निर्गत किया गया था जिसकी अवधि दिनांक:30.05.2019 को समाप्त हो रही है के दृष्टिगत ककरी परियोजना को 185.84 हे0 वन भूमि लीज नवीनीकरण हेतु किसी प्रकार का दावा न प्राप्त होने एवं कोई दावा लम्बित न होने के कारण अनापत्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

उप जिलाधिकारी,
दुद्धी–सोनभद्र।

A.D.O (I.S.B)
म्योरपुर

कार्यालय उपखण्ड/उप जिलाधिकारी दुद्धी सोनभद्र।

पत्रांकः D7 /आ0लि0–वना0–बैठक/2018 दिनांक: 8/1–2019

प्रतिलिपिः–समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
दुद्धी–सोनभद्र।

General Manager
Kakri Project
N.C.L